

सुक्रवारी नं २३/२०२४

तारीख :-

१३-०७-२०२४

प्रार्थना पत्र बाबत धारा ३९(२ख) ग्रीव

निचाल आर्डर नं २२३/१९९५

उपनाम

बनोकर पुत्र देवराज जी जंजी निवासी शेरपुर तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—प्रार्थी

बनाम

सुरेंद्र कुमार सिंह जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—अप्रार्थी-03

दिनांक	फर्द अहकाम
२३/७/२०२४	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री रघुवीर सिंह जाटव एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक २२.०८.२०२४ को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(हेमराज मुर्जर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
२७/८	<p>बकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजकाय में पेश गए है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हो २०-१२-२४</p>
२८/८	<p>उपरल वरिय खपडा हुयी. बकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजकाय में पेश गए है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हो १९-०५-२५</p>
१९/८	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील उपस्थित उपस्थित के बाद प्रार्थी व प्रार्थी वकील की आवाज मिलानी गयी। आवाज मिलाने पान के बाद प्रार्थी व प्रार्थी वकील उपस्थित। निष्कर्ष पाठित किया है कि प्रार्थी व प्रार्थी वकील प्रकरण खारिज चलाने में सहमत हैं। महो. सुं नं २२/२०२४ क्रि. ३९(२ख) रामोकर बनाम हेम सिंह अदम खपडी व अदम रैची में खपडिया किया फाल है। पत्रावली के मतानुसार धरम खबर संभव है।</p>

